



2026:AHC-LKO.:19163

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या – 1921 वर्ष 2026

मोहम्मद तौहीद

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव (गृह), लखनऊ

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) की ओर से अधिवक्ता

: अनामिका सिंह

विपक्षी(गण) की ओर से अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 13

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया

1. प्रश्न पूछे जाने पर विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उनके पास प्रकरण के संबंध में पूर्ण निर्देश उपलब्ध हैं तथा वे गुण-दोष के आधार पर वाद के बहस हेतु तैयार हैं, अतः न्यायालय ने वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई प्रारम्भ की।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

3. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट/मु0अपराध संख्या 433 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 108 भारतीय न्याय संहिता (जो पूर्व में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 के समतुल्य थी), थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित है।

4. वर्तमान प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए आवेदक के अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह दिनांक 06.12.2025 से कारागार में निरुद्ध है, वह निर्दोष है और उसे इस प्रकरण में मिथ्या रूप से आरोपित किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. यह भी कहा गया कि सत्र न्यायालय ने दिनांक 20.02.2026 के आदेश द्वारा आवेदक को जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया, अतः यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

6. यह भी निवेदित किया गया कि वर्तमान वाद पूर्णतः आत्महत्या का प्रकरण है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **मंगत राम बनाम हरियाणा राज्य, आपराधिक अपील संख्या 592-एस.बी. वर्ष 1997, निर्णय दिनांक 27-5-2008 (पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय)** में प्रतिपादित किया गया “एक महिला विभिन्न कारणों जैसे अवसाद, आर्थिक कठिनाइयाँ, प्रेम में निराशा, घरेलू चिंताओं से त्रस्त होना, तीव्र या दीर्घकालिक रोग आदि के कारण आत्महत्या का प्रयास कर सकती है, और यह आवश्यक नहीं है कि वह किसी उकसावे के कारण ही हो।”

7. यह भी निवेदित किया गया कि वर्तमान प्रकरण आत्महत्या का है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **गुरचरण सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2020) 10 एस०सी०सी० 200 तथा जियो वर्गीस बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य, (2021) एस०सी०सी० आनलाइन एस०सी० 873** में की गई टिप्पणियों के आलोक में आवेदक जमानत प्राप्त करने का अधिकारी है।

8. यह भी कहा गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **प्रभात कुमार मिश्र उर्फ प्रभात मिश्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2024) 3 एस०सी०सी० 665** में दिनांक 05.03.2024 को पारित निर्णय के अनुसार केवल आत्महत्या-पत्र के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती तथा धारा 108 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दोषसिद्धि हेतु अभियोजन पक्ष को आवश्यक अवयवों को सिद्ध करना अनिवार्य है।

9. यह भी कहा गया कि आवेदक के विरुद्ध विधिक अनुमान प्रत्यावर्तनीय है तथा अभियोजन का यह प्रथम दायित्व है कि वह अपना मामला स्थापित करे जिससे उक्त वैधानिक प्रावधान लागू हो सके।

10. यह प्रस्तुत किया गया कि उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि यह आत्महत्या का मामला है, साथ ही माननीय सर्वोच्च



न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में, जिनमें उपर्युक्त उद्धृत निर्णय भी सम्मिलित हैं, की गई टिप्पणियों के परिप्रेक्ष्य में, अभियुक्त/आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा और अभियोजन साक्षियों को प्रभावित नहीं करेगा।

11. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की प्रार्थना का विरोध किया, तथापि वे आवेदक की ओर से प्रस्तुत उपर्युक्त तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

12. आवेदक के अधिवक्ता तथा शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों, प्रार्थना पत्र की विषयवस्तु, प्रथम सूचना प्रतिवेदन तथा अन्य प्रासंगिक अभिलेखों एवं उपर्युक्त निर्णयों का अवलोकन करने पर तथा प्रकरण के गुण-दोष में प्रवेश किए बिना, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थना पत्र में बल है, अतः इसे स्वीकार किया जाता है।

13. आदेशित किया जाता है कि आवेदक **मोहम्मद तौहीद** को उपर्युक्त अपराध संख्या में 25,000 रुपये के निजी बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू (जिनमें से एक पारिवारिक सदस्य अथवा निकट संबंधी होना चाहिए) प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए—

- (1) आवेदक विचारण के दौरान अभियोजन का सहयोग करेगा।
- (2) आवेदक साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (3) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर कोई दबाव या भय उत्पन्न नहीं करेगा।
- (4) आवेदक कोई अपराध नहीं करेगा।
- (5) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति को, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित हो, प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय या पुलिस के समक्ष सत्य प्रकट करने से विरत हो जाए अथवा साक्ष्यों से छेड़छाड़ हो।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(6) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

(7) आवेदक साक्ष्य हेतु निर्धारित तिथियों पर, जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, स्थगन का अनुरोध नहीं करेगा।

(8) आवेदक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत कथन दर्ज किए जाने की तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

14. उपर्युक्त शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में विचारण न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

15. चूँकि यह आदेश केवल जमानत प्रदान करने से संबंधित है, अतः स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई कोई भी टिप्पणी प्रकरण के गुण-दोष पर प्रभाव नहीं डालेगी तथा विचारण न्यायालय इन टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना निर्णय करेगा।

दिनांक – 17 मार्च, 2026

ज्योति/-

(न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया)